फर्द अहकाम

लालाराम बनाम रामदयाल

नाम न्यायालय ACJ

केस संख्या 71/36/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विव
		आज [illegible] 28/9/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] अनुपस्थित/कार्य बहिष्कार/अनुपस्थिति किये जाने के कारण, न्यायालिक कार्यवाही [illegible] पी.ओ.स. अन्य कार्य न होने/[illegible] होने से अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/9/24 को पेश हो।	
		आज दिनांक 23/9/24 को [illegible] पेश हुई। अभिभाषक [illegible] अनुपस्थित/कार्य बहिष्कार/अनुपस्थिति किये जाने के कारण, न्यायालिक कार्यवाही [illegible] पी.ओ.स. अन्य कार्य न होने/[illegible] होने से अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
		आज दिनांक 27/9/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] अनुपस्थित/कार्य बहिष्कार/अनुपस्थिति किये जाने के कारण, न्यायालिक कार्यवाही [illegible] पी.ओ.स. अन्य कार्य न होने/[illegible] होने से अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हो।	
	23/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष मौजूद। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त मोराचीमान की	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या : 71/36 / 2024

उनवान:- लालाराम बनाम रामदयाल

संदर्भित बनाम रखना उचित समझते हैं जिसकि वाद बाहुल्य ना बढ़े, गत दिनांक 6/3/24 को जारी अंतरिम मनाही निषेधाज्ञा को कायम किया जाकर वादग्रस्त मोराचीमान खसरा नम्बर 418 रकबा 0.2600 है, 450 रकबा 0.2400 है कुल रकबे 2 वाले ग्राम इमलीवाला पटवार हल्का [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर शहर के मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को पाबंद मनाही निषेधाज्ञा की पाबंद किया जाता है कि मौजा एवं स्कीम एवं कीमतों की यथास्थिति बगैर रखी। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसी नेचर की डग होकर आखिर डस्ट है। किया गया दिनांक 23/10/24 को तिब्बापा जाकर को इजहार सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner